

8-11
23-10-18
9686

P.K. 76 H-01

17

संख्या-192/XXVII(6)/एक/398/2006/18

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

23/10/18 (H)
1. P.C.
2. F.C.

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रमुख अभियंता
लो. नि.



2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-6

देहरादून: दिनांक 12 अक्टूबर, 2018

विषय- उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 6) की धारा-51 के प्राविधान दिनांक 01.10.2018 से लागू होने के फलस्वरूप आहरण वितरण अधिकारियों व कोषागार के स्तर पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 6) की धारा-51 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या: 858 एवं 859/2018/16(120)/XXVII(8)/2018/CT-50 एवं CT-51 दिनांक 27 सितम्बर, 2018 के माध्यम से इस व्यवस्था को राज्य में दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 से लागू किया गया है।

2- उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड माल और सेवा कर की नवीन प्रणाली में स्रोत पर कर की कटौती एवं भुगतान के सम्बन्ध में दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 से राज्य के आहरण वितरण अधिकारियों व कोषागार के स्तर पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को राज्यपाल महोदय निम्नवत् सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(क) कोषागार से पारित होने वाले देयकों के सम्बन्ध में :

1. माल और सेवा कर (GST) की नवीन प्रणाली में किसी संविदा के अधीन सप्लायर (Supplier) को दिये गये रू० 2.5 लाख से अधिक के भुगतान के प्रकरण पर 2% (1% CGST एवं 1% SGST) स्रोत पर कर की कटौती की जायेगी।
2. स्रोत पर कर की कटौती के लिए सभी सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी जीएसटीएन पोर्टल पर अपने को पंजीकृत करके अपना-अपना पृथक-पृथक माल और सेवा कर पहचान नम्बर (GSTIN) प्राप्त करेंगे।
3. स्रोत पर कर की कटौती के लिए आहरण वितरण अधिकारी को जीएसटीएन पोर्टल पर अपने GSTIN का प्रयोग करके लागइन करना होगा।
4. जीएसटीएन पोर्टल पर लॉगइन के उपरान्त सिस्टम पर जीएसटी टीडीएस का चालान (CPIN) जनरेट करके सुसंगत लेखाशीर्षक में 2% स्रोत पर कर की कटौती का विवरण भरा जायेगा।
5. तत्पश्चात आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार पोर्टल पर अन्य कोषागार देयकों की भौति उक्त CPIN का प्रयोग करते हुये सप्लायर (Supplier) से सम्बन्धित देयक को कोषागार सिस्टम पर तैयार किया जायेगा।
6. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार पोर्टल पर देयक को सफलतापूर्वक तैयार कर लेने एवं अनुमोदित कर देने के उपरान्त सम्बन्धित देयक का प्रिन्ट लेकर उसके साथ जीएसटीएन पोर्टल पर स्रोत पर जीएसटी टीडीएस कटौती से सम्बन्धित जनरेट किये गये चालान की प्रिन्ट की हुयी प्रति को संलग्न करके कोषागार में देयक को भौतिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।

LB

7. कोषागार में कन्टीजेन्सी से सम्बन्धित अन्य देयकों को पारित किये जाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के अधीन इस देयक का भी परीक्षण उसी भाँति करके देयक के सही होने पर ई-कुबेर के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।
8. जीएसटी की प्रणाली में स्रोत से कर की कटौती का केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के अंश के सफलतापूर्वक पोस्टिंग के उपरान्त प्रत्येक भुगतान के लिए एक चालान इन्डेक्स नम्बर CIN जनरेट होगा जो जीएसटीएन पोर्टल पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी के लिए उपलब्ध रहेगा।
9. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा स्रोत पर कर की कटौती से सम्बन्धित विवरण को जी0एस0टी0एन पोर्टल पर देखा जा सकेगा और इसकी रिपोर्ट भी जनरेट की जा सकेगी।
10. स्रोत पर कर की कटौती से सम्बन्धित विवरणों की अद्यावधिक स्थिति की जानकारी के लिए समस्त आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रारूप-1 पर एक पंजिका तैयार की जायेगी, जो कटौतियों की मासिक सूचना (Form GSTR-7) को तैयार करने में सहायक होगा तथा जीएसटीएन पोर्टल पर ऑफलाइन यूटिलिटी के प्रयोग के लिए भी सहायक होगी।
11. स्रोत से कर की कटौती की मासिक सूचना को तैयार करने के बाद सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा इससे सम्बन्धित मासिक प्रमाण-पत्र (Form GSTR-7A) जीएसटीएन पोर्टल पर सिस्टम से जनरेट किया जायेगा।

(ख) ऐसे देयक जो कोषागार से पारित नहीं होते हैं, के सम्बन्ध में :

राज्य सरकार से अनुदानित संस्थाओं, स्थानीय निकायों, परिषदों, निगमों आदि में जिनका भुगतान कोषागार के माध्यम से नहीं होता है, सप्लायर (Supplier) को किये गये भुगतान में से नवीन प्रणाली के अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती (TDS) एवं भुगतान के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया निम्नवत् होगी:-

1. राज्य सरकार से अनुदानित संस्थाओं, स्थानीय निकायों, परिषदों, निगमों आदि के प्रशासकों द्वारा भुगतान हेतु अधिकृत अधिकारी जीएसटीएन पोर्टल पर अपने को पंजीकृत करने, जीएसटीआईएन प्राप्त करने और माल एवं सेवा कर की नवीन प्रणाली में 2% (1% CGST एवं 1% SGST) स्रोत पर सेवाकर की कटौती की धनराशि को जमा करने के लिये जीएसटीएन पोर्टल का प्रयोग किया जायेगा।
2. सिस्टम में 2% स्रोत पर कर की कटौती का विवरण सफलतापूर्वक भरके चालान (CPIN) जनरेट कर लेने के उपरान्त जीएसटीएन पोर्टल पर OTC मोड में उस बैंक को सेलेक्ट करके चालान की धनराशि को जमा करेंगे जिस बैंक में सप्लायर (Supplier) से सम्बन्धित जीएसटी की कटौती की धनराशि जमा की जानी है।
3. जीएसटी की धनराशि सफलतापूर्वक जमा हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित बैंक द्वारा एक चालान इन्डेक्स नम्बर CIN जनरेट किया जायेगा जो इलैक्ट्रॉनिक मोड में जीएसटीएन पोर्टल में सम्बन्धित भुगतान हेतु अधिकृत अधिकारी के लिये उपलब्ध होगा। भुगतान हेतु अधिकृत अधिकारी इसका प्रिन्ट ले सकेंगे।
4. माल और सेवा कर (GST) की नवीन प्रणाली में सप्लायर (Supplier) को रुपये 2.5 लाख से अधिक के भुगतान के प्रकरण पर 2% स्रोत पर कर की कटौती एवं भुगतान अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
5. स्रोत पर कर की कटौती के लिए सभी सम्बन्धित भुगतान हेतु अधिकृत अधिकारी जीएसटीएन पोर्टल पर अपने को पंजीकृत करके अपना-अपना पृथक-पृथक माल और सेवा कर पहचान नम्बर (GSTIN) प्राप्त करेंगे।
6. स्रोत पर कर की कटौती के लिए भुगतान हेतु अधिकृत अधिकारी को जीएसटीएन पोर्टल पर अपने GSTIN का प्रयोग करके लागइन करना होगा।
7. जीएसटीएन पोर्टल पर लॉगइन के उपरान्त सिस्टम पर चालान (CPIN) जनरेट करके सुसंगत लेखाशीर्षक में 2% स्रोत पर कर की कटौती का विवरण भरा जायेगा।
8. जीएसटी की प्रणाली में स्रोत से कर की कटौती का केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के अंश का सफलतापूर्वक पोस्टिंग के उपरान्त प्रत्येक भुगतान के लिए एक चालान इन्डेक्स नम्बर CIN जनरेट होगा जो जीएसटीएन पोर्टल पर सम्बन्धित भुगतान हेतु अधिकृत अधिकारी के लिए उपलब्ध रहेगा।

9. भुगतान हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा स्रोत पर कर की कटौती से सम्बन्धित विवरण को जी0एस0टी0एन पोर्टल पर देखा जा सकेगा और इसकी रिपोर्ट भी जनरेट की जा सकेगी।
10. स्रोत पर कर की कटौती से सम्बन्धित विवरणों की अद्यावधिक स्थिति की जानकारी के लिए भुगतान हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रारूप-1 पर एक पंजिका तैयार की जायेगी, जो कटौतियों के मासिक सूचना (Form GSTR-7) को तैयार करने में सहायक होगा तथा जीएसटीएन पोर्टल पर ऑफलाइन यूटिलिटी के प्रयोग के लिए भी सहायक होगी।
11. स्रोत से कर की कटौती की मासिक सूचना को तैयार करने के बाद भुगतान हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा इससे सम्बन्धित मासिक प्रमाण-पत्र (Form GSTR-7A) जी0एस0टी0एन पोर्टल पर सिस्टम से जनरेट किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन अपने-अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों/ कार्यालयाध्यक्षों से सम्बद्ध आहरण वितरण अधिकारियों से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या- /XXVII(6)/एक/398/2006/18, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. मुख्य/प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त मुख्य, वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/वित्त अधिकारी भुगतान एवं लेखा कार्यालय/ उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. राज्य एन0आई0सी0, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव विभूति रंजन)
अनु सचिव।